न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/28/2014

उनवान

1. मंगला पिता नारायण रेबासी झामाजी का सेमलिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मुरली धर पिता फतेहलाल ब्राह्मण निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. जयप्रकाश पिता फतेहलाल ब्राह्मण निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. जुगलकिशोरी पुत्री फतेहलाल ब्राह्मण निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. श्रीमती गीता पत्नि फतेहलाल ब्राह्ण निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 18/2013 निर्णय एवं दिनांक 20.9.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री रणवीरसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एस एल वैद ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.8.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भादू तहसील माण्डल स्थित आराजी नम्बर 2933/2292 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 4.1.83 को विपक्षी नम्बर 1 लगायत 4 के पिता व पति को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया। उक्त आवंटन विधिविरूद्ध होने से व आवंटन की शर्तो की पालना आवंटी द्वारा नही किये जाने से माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किये कि आवंटन खारिज कर आवंटित भूमि को बिलानाम सिवायचक दर्ज किया जावे। जिस पर तहसीलदार माण्डल ने नामान्तरकरण संख्या 3063 संस्थित कर दिनांक 4.1.2013 को निर्णित कर भूमि को सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज किया । आलोच्य अवधि के दौरान प्रशासन गांवों के संगअभियान चलाया गया जिसमें उक्त आराजी खसरा नम्बर 2933/2292 रकबा 5 बीघा भूमि जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज थी। उसके लिए अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने प्रश्नगत भूमि को आवंटन करने के लिए दिनांक 19.1.2013 को उद्घोषणा जारी की गई। जिस पर प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों ने भी भूमि आवंटन कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये। किन्तु अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी माण्डल ने प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि आवंटन कराने हेतु प्रस्तत किये गये प्रार्थना पत्रों को नजर अन्दाज करते हुए भूमि का पुनः विपक्षी नम्बर 1 से 4 को आवंटन कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त येाग्य है। क्योंकि विपक्षीगण सद्भाविक भूमिहीन कृषक नहीं होकर उनका व्यवसाय कृषि नहीं होकर मंदिर की सेवा पूजा करते हैं। अप्रार्थी द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिये गये , प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्य

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमिहीन कृषक होकर मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी ने इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया आवेदन में यह भी अनुरोध किया गया कि वक्त भू आवंटन के दिनांक 31.1.2013 को मौका रिपोर्ट भी मंगवाई गई। मौका रिपोर्ट में वर्णित आराजी भू भाग पर प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों का कब्जा काश्त होना बताया गया, जो नियमन/आवंटन योग्य था। जिस पर कोई आदेश नहीं दिये गये । वादग्रस्त आराजी भू भाग पर प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य काफी वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा लाखों रूपयें खर्च कर भूमि का विकास कराया व उपजाऊ बनाया है । आवेदन में यह भी अनुरोध किया गया कि तथाकथित भू आवंटन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। उसके उपरान्त भी वादग्रस्त आराजी भू भाग का आवंटन मृतक फतेहलाल जी के वासिारन के पक्ष में किया गया जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 से 4 के स्वर्गीय पिता व पति को हुए भू आवंटन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने के उपरान्त भी भू आवंटन कमेटी ने विपक्षीगण को आवंटन किया है जो विधिरूिद्ध होने से निरस्त किया जाकर तथाकथित आवंटन प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्यों को कृषि प्रयोजन के लिए कराया जाावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम भादु तहसील माण्डल स्थित आराजी नम्बर 2933/2292 रकबा 5 बीघा भूमि पूर्व में फतेहलाल जी को दिनांक 4.1.1983 को आवंटित हुई थी। उक्त आवंटन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.5.98 से निरस्त कर दिया गया था। वादग्रस्त आराजी को बिलानाम दर्ज कर पुनः आवंटन किये जाने का निर्देश दिया गया था। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने आदेश दिनांक 31.11.2012 से वादग्रस्त आराजी को बिलानाम से पुनः पूर्व के आवंटयों का आवंटन दर्ज करने हेतु आदेशित किया । जिस पर तहसीलदार माण्डल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3063 दिनांक 4.1.2013 से वादग्रस्त आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज किया । उसके उपरान्त वादग्रस्त आराजी के साथ अन्य आराजियात के आवंटन हेतु नई उद्घोषणा दिनांक 19.1.2013 को जारी कर प्रार्थना पत्र लिये गये। जिस पर अपीलाण्ट ने भी वादग्रस्त आराजी पर अपना पुराना कब्जा होने से आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा होना स्वयं तहसीलदार साहब ने अपनी रिपोर्ट में माना है। अपीलार्थी के आवंटन का पात्र होने के बावजूद वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपीलार्थी को नहीं किया जाकर फतेह लाल जी के वारिसान जिनका वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। उनके पक्ष में आवंटन कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त सारे तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराये हैं इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गोर नहीं कर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जो विधिविरूद्ध होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे तथा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट के पक्ष में आवंटन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

5. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। दिनांक 4.1.1983 को वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण के पिता/पति को आवंटित की गई थी। जिसे काफी श्रम एवं राशि लगाकर अपीलाण्ट ने काबिलकाश्त बनाया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कभी कब्जा नहीं रहा है। अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजी को अपने पक्ष में आवंटन किये जाने का निवेदन किया जबकि अपीलाण्ट के पास पूर्व में ही पर्याप्त भूमि होने से आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलाण्ट को आवंटन का पात्र नहीं माना है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा एवं रेकार्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी नम्बर 2233/2922 रकबा 5 बीघा भूमि पूर्व में दिनांक 4.1.1983 को फतेहलाल को आवंटित की थी। जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त करते हुए वादग्रस्त आराजी को बिलानाम सिवायचक दर्ज कर पुनः आवंटन किये जाने का निर्देश प्रदान किया था। जिसकी पालना में वादग्रस्त आराजी को बिलानाम सिवायचक दर्ज किया गया एवं आवंटन हेतु विज्ञप्ति जारी की । जिस पर अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए आवंटन किये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका जो कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार माण्डल के आदेश क्रमांक आर ए/2001/478

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की पालना में तैयार किया गया । तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा के पत्रांक राजस्व /13/131 दिनांक 21/24–1–2013 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 2293/2292 रकबा 5 बीघा पर थोहर लगाकर डोल लगा कर नारायण पिता लालू रेबारी एवं उसकसे परिवार सहित कब्जा होने का तथ्य अंकित किया हुआ है। राजकीय सिवायचक बिलानाम भूमि पर यदि किसी का अतिक्रमण हो तो भी ऐसी भूमि को नियमों में आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी में माना जाता है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण होने से उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है।

7. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपीलार्थीया के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के नियमन करने का प्रश्न है । अपीलार्थी के परिवार में पहले से ही पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिससे अपीलार्थी आवंटन की पात्र नहीं रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.9.2013 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 23.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

23/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबंध अधिकारी एवं
अति. राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा